18

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4989

1.श्रीमति मीरा बाई पुत्री रतिराम विश्वकर्मा
पत्नि बालकिशन विश्वकर्मा आयु 55वर्ष
2.बालकिशन तनय शिवदयाल विश्वकर्मा दोनो
निवासी ग्राम अचर्रा तह.मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़
..पुनरीक्षणकर्तागण

श्री ... प्र. ... द्वारा आज दि. 8-12-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-12-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पे. दि. 3-1-18

बनाम

1.मुन्नू तनय सुक्के कुम्हार
2.महिला हरकुंवर पत्नि मुन्नू कुम्हार दोनो निवासी
ग्राम अचर्रा तह. मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.
..प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षणप्रस्तुत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा के आदेश दिनांक 16/11/2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता/ अपीलार्थीगण ने नायब तहसीलदार

1. मोहनगढ़ के प्र0क्र0310/अ-19/2001-02 दिनांक 16/05/2002 के विरुद्ध इस आशय की अपील प्रस्तुत कीथी कि प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/उत्तरवादीगण को आवंटित भूमि ख.न.57 के अंश रकबा 2.023हे0 मे पूर्व से वर्ष 1995 से पुनरीक्षणकर्ता का कब्जा रहा है जिसमे पुनरीक्षणकर्ता का कुआं खुदा हुआ है तथा विद्युत पंप रखा हुआ हैऐसी भूमि को आवंटन की पात्रता उत्तरवादी गण को नही थीजैसेकि राजस्व पुस्तक परिपत्र 0000D खण्ड 4 क्र.3 मे वर्णित है कि रिक्त भूमि का ही आवंटन किया जा सकेगा ततसमय आदेश दिनांक 16/05/2002 कीजानकारी अपीलार्थीगण /पुनरीक्षणकर्ता को नही दी गई जब प्रश्नाधीन भूमिका सीमांकन दिनांक 8/5/2017 करने राजस्व निरीक्षक आए तब जानकारी हुई की पुनरीक्षणकर्ता की प्रश्नाधीन भूमि काअंश रकबा 0.200हे0 पर आवेदक का कुआ खुदा है तथा शेष रकबे मे फसल अपीलार्थीगण /पुनरीक्षणकर्ता की खड़ी हुई है इस कारण अपील प्रस्तुत करने मे सदभावी विलंब हुआ है और जानकारी दिनांक से अपील अधीनस्थन्यायालय अनुविभागीयअधिकारी जतारा को प्रस्तुत कर दी गई थी परंतु अनुविभागीय जतारा ने एकसंक्षिप्त आदेश पारित कर यह लेख कर दिया कि अपीलार्थी के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीकिए और उक्त भूमि अपीलार्थी के स्वामित्व की नहीहै इस आधार पर धारा

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक / निगरानी / टीकमगढ / भू.रा / 2017 / 4989

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 207 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.11.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट कि अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा प्रकरण कमांक 207 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.11.17 को प्रथम अपील में अंतिम प्रकृति का आदेश है और अंतिम प्रकृति के आदेश के विरूद्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाये। सदस्य	